

an>
Title: Introduction of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 (*Omission of section 19*).

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है ०:

"कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।